दिनांक 13.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 14/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–20

- **लूट की घटनाओं का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के लगभग 05 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 05 सोने के चैन**
- **11 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 12/13.05.2023 की रात्रि थाना सेक्टर–20 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंगल बाजार एलीवेटेड के नीचे सेक्टर–25 से चैन स्नेचिंग करने वाले 02 अभियुक्तों 1–मंजीत उर्फ सोनू 2–राजू सहित लूट का माल खरीदने वाले 3–मनोज को गिरफ्तार कर लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के लगभग 05 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 05 सोने के चैन, 11 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सेक्टर–20 क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा चैन लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–20 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सोने के चैन कई लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस समबन्ध में थाना सेक्टर–20 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मंजीत उर्फ सोनू निवासी नंदनगरी थाना नंदनगरी, दिल्ली।

2–राजू निवासी 33 फुटा रोड, करावल नगर दिल्ली।

3–मनोज निवासी नत्थू गंज चौक कालोनी थाना मानसरोवर पार्क, दिल्ली।

बरामदगी

1—लूट के लगभग 05 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 05 सोने के चैन।

2—11 हजार रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल आदि।

जनपद रायबरेली/थाना लालगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 17 हजार रूपये नगद**
- **लूटे गये चॉदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 13.05.2023 को थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—सौरभपाल 2—हरिकेश उर्फ गब्बर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 17 हजार रूपये नगद, लूटे गये चॉदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना लालगंज क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लालगंज पर धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरभपाल निवासी गंगागंज मजरे गेंगासो थाना सरेनी जनपद रायबरेली।

2—हरिकेश उर्फ गब्बर सिंह निवासी पूरे वैशन मजरे गैंगासो थाना सरेनी जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1—लूट के 17 हजार रूपये नगद।

2—लूटे गये चॉदी के आभूषण।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रामचन्द्र मिशन

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन**
- **आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद**

दिनॉकः 12.05.2023 को थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरदोई चौराहा के पास एनएच–24 से अभियुक्त अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम, 1250/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अभिषेक कुमार निवासी ग्राम पतराखुर्द थाना केरेडारी जनपद हजारीबाग, झारखण्ड।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 02 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम।

2–1250/–रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।

जनपद मथुरा/थाना मांट

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 202 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 106 पेटी अवैध बीयर**
- **01 वाहन आयसर कैन्टर बरामद**

दिनॉकः 12.05.2023 को थाना मांट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मांट टोल प्लाजा से अभियुक्त राजुलाल को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 202 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 106 पेटी अवैध बीयर, 01 वाहन आयसर कैन्टर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मांट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजुलाल निवासी व्यास जी का बडला थाना गंगरोप जनपद भीलवाडा, राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 202 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 106 पेटी अवैध बीयर।

2—01 वाहन आयसर कैन्टर।

एसटीएफः फर्जी सरकारी ट्रेनिंग सेंटर खोलकर, बेरोजगार नवयुवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड अपने 02 साथियों के साथ थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी से गिरफ्तार।

दिनांकः 12—05—2023 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को बेरोजगार नवयुवकों को विभिन्न विभागों मे नौकरी दिलाने का झांसा देकर, उनकी फर्जी ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग कराकर उनसे करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले सरगना अभिषेक प्रताप सिंह को उसके 02 सहयोगियों अतहर व नीरज के साथ थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. अभिषेक प्रताप सिंह निवासी मूल निवासी ग्राम जंगरा बसावनपुर, सफदरगंज, बाराबंकी हाल निवासी म0नं0 551घ/229 घ, आलमबाग, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
2. अतहर हुसैन पुत्र मुर्तुजा हुसैन नि0 बडगो थाना खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर।
3. नीरज मिश्रा पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार मिश्रा नि0 ड–115 यशोदा नगर, थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी–

1. 04 अदद मोबाइल फोन।
2. 01 अदद कूटरचित आई0डी0 कार्ड सहायक समीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय।
3. 07 अदद नियुक्ति पत्र मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फ़ॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लखनऊ उत्तर प्रदेश।
4. 04 अदद नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी)।
5. 08 अदद नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश वन निगम।
6. 06 अदद ट्रेनिंग लेटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
7. 07 अदद पोस्टिंग लेटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
8. 46 व्यक्तियों के मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्र व अंक पत्र।
9. 04 अदद रबर स्टैम्प क्रमशः– सेक्रेटरी यूपी फ़ॉरेस्ट कोपरेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश, नरेंद्र कुमार चौबे विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, डॉ मोहन यादव प्रमुख सचिव विधान परिषद् उ प्र व Ministry of forest & climate change lucknow.
10. 16 अभ्यर्थियों के जाली पहचान पत्र उत्तर प्रदेश वन निगम।
11. 02 ब्लैंक प्रोफार्मा पहचान पत्र उत्तर प्रदेश वन निगम।
12. 02 अदद एटीएम कार्ड।

13. 01 अदद आधार—कार्ड।

14. नकद 5170 रूपये। (जामातलाशी से प्राप्त)।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः—</u>

दिनांकः 12—05—2023, स्थान अनवारी ग्राम के बाहर रोड के किनारे बने एक घर से थाना कुर्सी, जनपद बाराबंकी समय सायं करीब 08.35 बजे।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत काफी समय से फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थी। जिस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जिसमें लखनऊ निवासी अभिषेक प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ बेरोजगार युवकों को बहला फुसलाकर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का कार्य करते हैं और अब तक करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं। उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 12—05—2023 को द्वारा मुखबिर ज्ञात हुआ कि अभिषेक प्रताप सिंह अपने एक साथी अतहर हुसैन के साथ अनवारी गांव के आखिर में एक घर को किराये पर लेकर ठगी का काम कर रहा है, जिनसे मिलने नीरज मिश्रा आने वाला है। यदि शीघ्रता की जाये तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर उप निरीक्षक तेज बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी हरीश सिंह चौहान, मुख्य आरक्षी कृष्णा कांत शुक्ल, मुख्य आरक्षी सुनील यादव, आरक्षी चालक जैल सिंह यादव मय सरकारी वाहन मुखबिर के बताये स्थान से दबिश देकर तीनों व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूछताछ पर अभिषेक प्रताप सिंह उपरोक्त ने बताया कि हम सभी लोग मिल कर बेरोजगार/ग्रामीण क्षेत्र के नव–युवकों को निशाना बनाकर उन्हे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रूपये की ठगी करते हैं। हम लोग पहले शहर के किनारे एकांत में एक मकान देखकर उसे किराये पर लेते हैं और वहां नौकरी से सम्बंधित विभाग की पोस्टर होर्डिंग, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर उसे ट्रेनिंग सेंटर में परिवर्तित कर देते हैं, फिर चिन्हित किये गये बच्चों से प्रति व्यक्ति 2 से 03 लाख रूपये लेकर उन्हें नौकरी की ट्रेनिंग दिलाने के नाम पर बुलाते हैं और कुछ दिन ट्रेनिंग देकर उनसे विभिन्न विषयों पर अध्ययन करवाकर प्रोजेक्ट इत्यादि तैयार कराते हैं जिससे अभ्यर्थियों को लगे की उनकी वास्तविक ट्रेनिंग चल रही है। फिर उनकी सर्विस बुक तैयार करवाते हैं। उसके बाद एक महीने का स्टाइपेन्ड 02 से 03 हजार रुपये भी उनके खाते में भेजते हैं। उसके बाद हम लोग सारे रूपये मिल जाने पर अपना ट्रेनिंग सेण्टर मोबाइल नंबर इत्यादि बंद करके फरार हो जाते हैं। हम लोग **Ministry of Environment forest and climate change Government of India**/उत्तर प्रदेश वन निगम/उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भर्ती कराने के नाम पर रूपये लेते हैं। वह चिन्हित बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए उन्हे इसी विभाग का लोगो लगा हुआ रंगीन प्रिंट कराकर ट्रेनिंग लेटर व नियुक्ति पत्र फर्जी हस्ताक्षर करके व फर्जी मुहर लगाकर भेजता था और विश्वास दिलाने के लिए ही इन्ही विभागों का पोस्टर, बैनर बनवाकर उसे ट्रेनिंग सेण्टर पर लगाते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0–115/2023 धारा– 406,419,420,467,468,471,120बी व 34 आईपीसी में दाखिल किया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––